न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/37/2006/बांसवाडा

वालिया पुत्र श्री जाला (फौत) जरिये कायम मुकाम :–
1. धूला
2. हीरा
3. हरीराम

पुत्रान वालिया जाति भील निवासी पाडलावडकिया तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– सोमा पुत्र झिथा
2– सुका पुत्र झिथा
जाति भील निवासी पाडलावडकिया तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा।
3– फूली पुत्री झिथा जाति भील निवासी पाडलावडकिया तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा हाल पति भैर भील निवासी मोर तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा।
4– भूली पुत्री झिथा जाति भील निवासी पाडलावडकिया तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा हाल पति पोखरा भील निवासी सीमलखेडा तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा
5– मता पिता जोखा जाति भील निवासी पाडलावडकिया
6– कोबरा पिता जोखा जाति भील निवासी पाडलावडकिया
7– घना बेवा झिथा जाति भील निवासी पाडलावडकिया
8– रमेश पुत्र झिथा भील नाबालिग जरिये संरक्षक माता घना बेवा झिथा भील निवासी पाडलावडकिया
9– झिमला पुत्र झिथा(मृतक) जरिये वारिसानः–
9/1. राकेश पुत्र झिमला भील निवासी पाडलावडकिया नाबालिग जरिये संरक्षक दादी घना बेवा झिथा भील निवासी पाडलावडकिया
9/2. सुश्री संगीता पुत्री झिमला भील निवासी पाडलावडकिया नाबालिग जरिये संरक्षक दादी घना बेवा झिथा भील निवासी पाडलावडकिया तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री वी0श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य

उपस्थित :
श्री सुरेन्द्र शर्मा, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सतीश पारीक, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

दिनांक

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–11–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी अपीलांट ने एक राजस्व वाद विरूद्ध रेस्पोडेंट्स अंतर्गत धारा 19, 88, 188, 209 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखंड अधिकारी कुशलगढ के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पाडलावडकियां पटवार हल्का ईटाला तहसील कुशलगढ के खाता संख्या–3 के आराजी खसरा नंबर 80, 81, 90, 92, 93, 94, 96, 97 व 103 कुल किता 9 रकबा 37 बीघा 5 बिस्वा वादी के पिता जाला की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है जिसका नामांतरकरण संख्या 2 दिनांक 27–8–56 द्वारा वादी के पिता के पक्ष में तत्पश्चात् वादी के पिता की मृत्यु के बाद वादी के पक्ष में कर दिया गया है लेकिन प्रतिवादीगण, वादी के कब्जेकाश्त में हस्तक्षेप करते है। वादी के खेत सर्वे नंबर 107 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा में प्रतिवादीगण बाधा उत्पन्न कर रह है जबकि उक्त सर्वे नंबर का नामांतरकरण संख्या 4 जोखा पिता लाला भील जो कि प्रतिवादीगण के पूर्वज है, के नाम पर गैर कानूनी तरीके से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के विपरीत किया गया है तथा जोखा के मरने के बाद क्रमशः नामांतरकरण संख्या 14, 76 व 96 प्रतिवादीगण के नाम रेकार्ड में अंकित कर दिया गया जो प्रारम्भ से अवैध व शून्य है। अतः वादी का वाद घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। परीक्षण न्यायालय उपखंड अधिकारी कुशलगढ ने उभय पक्ष को सुनकर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30–3–05 द्वारा वादी का वाद डिक्री कर दिया। जिससे असन्तुष्ट हो कर रेस्पोडेंट्स ने प्रथम अपील, भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर के यहां प्रस्तुत की। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं

पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 30–11–05 द्वारा स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 30–11–05 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि अपीलीय न्यायालय ने रेस्पोडेंट्स की अपील आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार की गई थी तो इस परिस्थिति में प्रकरण को पुनः विचारण न्यायालय को रिमांड किया जाना अनिवार्य था और अपीलार्थी को इस सबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया जाना आवश्यक था। साक्ष्य की कसौटी पर इन दस्तावेजात को प्रदर्शित किये बिना उनको अपील में ग्राह्य कर उनके आधार पर रेस्पोडेंट्स की अपील स्वीकार करने में अपीलार्थी के साथ घोर अन्याय किया है। अपीलार्थी ने जोखा को घर जंवाई बनाया था तथा आराजी उसको काश्त हेतु बताई थी जिसके अभाव में यह नहीं माना जा सकता कि रेस्पोडेंट्स के पूर्वज विवादित आराजी पर शिकमी काश्तकार थे। कयासपूर्ण आधार पर बिना रेकार्ड पर साक्ष्य होते हुये तनकी संख्या 1 का निर्णय अपीलार्थी के विरूद्ध देकर विचारण न्यायालय द्वारा जो इस तनकी का निर्णय अपीलार्थी के पक्ष में दिया गया था, को निरस्त कर अपीलार्थी के साथ अन्याय किया है। शिकमी काश्तकार होने के सबंध में रेस्पोडेंट्स ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की थी। केवल मात्र खसरा गिरदावरी में शिकमी का इंद्राज होने से यह नहीं माना जा सकता था कि वह विधिवत् शिकमी काश्तकार है। अपीलीय न्यायालय ने धारा 19(1)(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत रेस्पोडेंट्स के पूर्व को स्वतः खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने के सबंध में दिया गया अभिप्राय त्रुटिपूर्ण व विधि विरूद्ध होकर निरस्तनीय है। उक्त प्रावधानों के विपरीत बिना इस संदर्भ में कोई प्रार्थना पत्र वास्ते प्राप्त करने खातेदारी अधिकार सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने के कारण उनको खातेदारी अधिकार नामांतरकरण से प्राप्त नहीं होते थे। ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों व दस्तावेजों का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण कर वादी अपीलांट का वाद सही रूप से डिक्री किया था। किंतु अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर अपील मनमाने तौर पर स्वीकार की है। अतः अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 30–11–05 विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाकर यह द्वितीय अपील स्वीकार की जावे एवं परीक्षण न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जावे।

4– विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये बहस में कहा कि विवादित आराजी पर रेस्पोडेंट्स का

पिछले 60–65 वर्षा से निरंतर कब्जाकाश्त होकर उनके मकान बने हुये है। वादी के खातेदारी अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाते है। कब्जे के संदर्भ में किसी भी खसरा गिरदावरी में वादी अपीलार्थी का कब्जाकाश्त अंकित नहीं है। वादी अपीलार्थी की बहन की शादी जोखा से हुई थी तथा जोखा घर जंमाई था। दिनांक 2–10–60 को प्रतिवादी के पक्ष में नामांतरकरण स्वीकृत हुआ था जबकि वादी ने 2003 में वाद प्रस्तुत किया तथा इतने लम्बे समय बाद वाद प्रस्तुत करने का कोई पर्याप्त कारण स्पष्ट नहीं किया। संवत् 2010 से 13 में जोखा का इंद्राज है। स्वयं अपीलार्थी की सहमति से विवादित आराजी उसने अपनी बहन को दी थी और संवत् 2010 से काश्त जोखा द्वारा की जा रही है जिसकी लगान रसीदे पेश की है। परीक्षण न्यायालय ने नामांतरकरण संख्या 4 जोखा पुत्र लाला के पक्ष में धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकृत किये जाने को अधिकारिता क्षेत्र से परे गलत माना था तथा वादी का वाद मनमाने तौर पर डिक्री किया था किंतु अपीलीय न्यायालय ने रिकोर्ड पर उपलब्ध समस्त तथ्यों, साक्ष्यों, विचरित तनकीयात व दस्तावेजातों की विस्तृत विवेचना करते हुये वादी रेस्पोडेंट की अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किया है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से यह अपील खारिज की जावे।

5– विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया।

6– राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि परीक्षण न्यायालय उपखंड अधिकारी द्वारा प्रश्नगत भूमि बाबत् नामांतरकरण संख्या 4 को तहसीलदार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर स्वीकृत मानने का निष्कर्ष उचित नहीं है। क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 19(1) व 19(1)(ए) के तहत ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के दिनांक 15–10–55 को बहैसियत शिकमी दर्ज थे या शिकमी दर्ज होने की हैसियत रखते थे, तो ऐसे व्यक्ति संशोधित उपधारा (1)(ए) के तहत ही स्वतः खातेदार हो जाते है। ऐसे प्रकरणों में सहायक कलेक्टर के न्यायालय में पृथक से प्रार्थना पत्र दायर करने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 4 दिनांक 20–9–60 को विधिसम्मत् मानने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। रेस्पोडेंट प्रतिवादी द्वारा 19(1) की शर्तो की पालना में नकल खसरा गिरदासरी प्रदर्श ा पेश की है। जिसमें खसरा नंबर 107 संवत् 2010 से 2013 के विवरण के कॉलम में जोखा का बतौर शिकमी कब्जा अंकित है। संवत् 2014 में

काश्त करने वाले के कॉलम में जोखा का नाम अंकित है। संवत् 2015 में जोखा का नाम पुनः अंकित है। संवत् 2016 से 2019 तक की खसरा गिरदावरियों में जोखा का नाम खातेदार के कॉलम में भी दर्ज हो चुका था एवं काश्त करने वाले के कॉलम में भी दर्ज है। इस प्रकार 1960 के बाद भी जोखा बतौर खातेदार इस भूमि पर निरंतर काबिजकाश्त रहा है एवं संवत् 2020 के उपरांत उसके वारिसान बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है। इस प्रकार वर्तमान अपीलांट प्रश्नगत भूमि पर अपने कब्जेकाश्त को सिद्ध करने में विफल रहे है।

7— इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा रेस्पोडेंट जोखा को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19(1)(ए) के तहत विधिवत् रूपसे दर्ज खातेदार माना है तथा इस बाबत् तस्दीक नामांतरकरण संख्या 4 दिनांक 20—9—60 को विधिसम्मत् मानते हुये उपखंड अधिकारी के निर्णय दिनांक 30—3—05 को अपास्त किया है, वह पूर्ण रूपसे उचित है। उसमें किसी प्रकार की विधिक एवं तात्विक त्रुटि नहीं की है। परीक्षण न्यायालय ने प्रश्नगत् भूमि पर कब्जे काश्त बाबत् साक्ष्य के समुचित विवेचन के बिना वर्तमान अपीलांट वादीगण के पक्ष में जो खातेदारी अधिकारों की घोषणा की है, उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः हस्तगत् द्वितीय अपील खारिज योग्य है।

8— परिणामतः उपरोक्त पैरे में दिये गये अभिमत के आधार पर हमारा निष्कर्ष है कि हस्तगत अपील खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है तथा भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर का निर्णय दिनांक 30—11—05 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(आर.के.जायसवाल)
सदस्य

(वी0श्रीनिवास)
अध्यक्ष